2010 13:39 FROM:SECRETARY FOOD AND C 21352712987 TO:01372252122 P:1

25

संख्या-337 / 111(2)/09-43(प्रा0आ0)/2009

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक: 12 मार्च, 2010

विषय:- वित्तीय वर्ष 2009-10 में अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, ग0क्षे0, लो0नि0वि0, पौडी तथा मुख्य अभियन्ता कुमायूँ क्षेत्र लो0नि0वि0 अल्मोड़ा द्वारा अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आगणनों की संलग्न सूची में उल्लिखित कार्यों की आंकलित धनराशि रू0 4745.94 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि रू0 4680.96 लाख (छियालीस करोड़ अस्सी लाख छियानवे हजार) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख स्तम्भ-5 के अंकित विवरणानुसार कुल 2.70 लाख (दो लाख सत्तर हजार) की धनराशि को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009-10 में व्यय करने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरियतों के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्द नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

10. स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

Copy to AE (25.3)

सत्य प्रतिलिपि-प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0
गोपेश्वर

(26)

11. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व आगणन पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ,का दिनांक 31 मार्च, 2010 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाए।

12. आगामी किश्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त विवरण प्रस्तुत किये जाने के बाद ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

13. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

14. इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009–10 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सड़कें –आयोजनागत –800–अन्य व्यय–03 राज्य सेक्टर– 02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

15. यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या-- 1078/XXVII/(2)/2009 दिनांक: 10 मार्च, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: 27 कार्यों की सूची।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या:–337 (1)/III(2)/09–43(प्रा0आ0)/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल एवं कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा।
9. लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव

सत्यप्रतिलिपि प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रानीखेत

(27)

शासनादेश सं0: 337 / III(2) / 09-43(प्रा0अ0) / 2009 दिनांक 12 मार्च, 2010 का संलग्नक

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0 में)	टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत (लाख में)	स्वीकृत की जा रही टोकन धनराशि (लाख में)
01	02	03	04	05
01	जनपद पौडी गढवाल में अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत **दूणीमाण्डई** मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	10.00	350.00	0.10
02	जिला पौडी गढवाल मे विधानसभा यमकेश्वर के अन्तर्गत चैलूसैण-सिलोगी -[illegible] मोटर मार्ग के जाखणीखाल नामक स्थान से न्याय पंचायत मुख्यालय ग्राम ठंठोली तक मोटर माग का निर्माण।	3.00	105.00	0.10
03	अटल आदर्श योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ में नाघर से कुमलता मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5.00	183.75	0.10
04	अटल आदर्श योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ में रौडीधाली [illegible] से मौड़ी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य	5.00	183.75	0.10
05	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में काण्डा-[illegible]- रावतसेरा मो0मा0 के किमी0 27 से खातीगॉव तक लिंक मो0मा0 का निर्माण,	2.00+ 60 मी0 स्टील गर्डर पुल	259.50	0.10
06	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत नौली बाजार से थापली तक मो0मा0 का नव निर्माण कार्य।	7.00	257.25	0.10
07	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के वि0ख0 चिन्यालीसौड में धरासू बैण्ड से चमियारी मरगांव मे वैकल्पिक मो0मा0 का निर्माण।	0.650	23.89	0.10
08	जनपद पौड़ी गढवाल में अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत सिराई सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य;	3.00	105.00	0.10
09	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल में ग्राम दिखोलगांव से न्याय पंचायत मुख्यालय डडूर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	2.00	70.00	0.10
10	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में न्याय पंचायत मुख्य ग्राम द्वींग को मोटर मार्ग से जाने का कार्य।	7.00 किमी0 + 24 मी0 स्पान सेतु	330.74	0.10
11	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी विकासखण्ड वीरोंखाल में न्याय पंचायत कोटा मुख्यालय को मार्ग से जोड़े जाने का कार्य।	4.00	140.00	0.10
12	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी विकासखण्ड द्वारीखाल में डाबर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य;	3.00	105.00	0.10
13	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी में विकासखण्ड नैनीडांडा में न्याय पंचायत [illegible] मुख्यालय को मार्ग से जोड़े जाने का कार्य।	8.00	280.00	0.10
14	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी में न्याय पंचायत ग्राम [illegible] हेतु मोटर मार्ग का निर्माण।	2.50	87.50	0.10
15	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत में चम्पावत-मंच-तामली मोटर मार्ग के किमी0 04 से न्याय पंचायत सिमल्टा तक मोटर मार्ग का निर्माण।	5.00 किमी0 + 5 लघु सेतु [illegible]	244.00	0.10
16	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में देवीपुर-सौड़ (पी0एम0जी0एस0वाई0) के किमी0 7 से डोला न्याय पंचायत सम्पर्क मार्ग का निर्माण	4.00	140.00	0.10

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0
गोपेश्वर

(28)

17	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में रामगढ़ में सिरमोली न्याय पंचायत को जोड़ने हेतु धनकर से सिरमोली मोटर मार्ग का निर्माण	5.00	175.00	0.10
18	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में रामगढ़ में पाथरी न्याय पंचायत को जोड़ने हेतु बिढखाली से पाथरी मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	105.00	0.10
19	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकासखण्ड भीमताल में थपलियाल महरागांव मो0मा0 का निर्माण।	1.500	28.55	0.10
20	अटल आदर्श योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मूनाकोट में अशोक नगर भाटीगाँव मोटर मार्ग का विस्तार।	5.00	183.75	0.10
21	अटल आदर्श योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में गणाई बनकोट मार्ग के किमी0 5 से नायल तक मो0मा0 निर्माण।	3.00	110.25	0.10
22	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत किमतोली रौशाल मोटर मार्ग से न्याय पंचायत दौरजा तक मोटर मार्ग।	5.00	175.00	0.10
23	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विकासखण्ड पाटी में छिनकाछीना से न्याय पंचायत रौलमेल तक मोटर मार्ग का निर्माण।	8.00	280.00	0.10
24	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड एकेश्वर के अन्तर्गत किर्खू से कोटा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	3.00	105.00	0.10
25	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जिला पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा एकेश्वर के अन्तर्गत जाखणीखाल–व्यासघाट मो0मा0 से न्याय पंचायत मुख्यालय ग्राम खरीक तक मो0 मा0 का निर्माण।	7.00 किमी + 3 सेतु	384.28	0.10
26	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा थैलीसैण के अन्तर्गत ग्राम खैरा से न्याय पंचायत मुख्यालय खैरासैण तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	3.00	105.00	0.10
27	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के तहसील कर्णप्रयाग मे चटवापीपल–झिरकोटी मो0मा0 नव निर्माण कार्य का प्रारम्भिक आगणन।	5.00	183.75	0.10
	योग:–		4680.95	2.70

(रू0 दो लाख सत्तर हजार मात्र)

प्रदीप

(प्रदीप सिंह रावत)
उपसचिव

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0
गैरसैण